न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 110/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. लच्छाराम पुत्र भूराराम जाति कुमावत निवासी ग्राम डासरोली तह0 दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)। – प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये:– तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। – अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act.

उपस्थिति–

1 श्री महेन्द्र कुमावत एवं शंकरलाल, वकील प्रार्थी ओर से।

निर्णय दिनांक – 07.02.2020

1 आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 696, 699, 700, 701, 702, 704, 705, 707, 718, 719, 720, 721, 723 कुल किता 14 कुल रकबा 11.0400 है0 वाके ग्राम डांसरोली पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी/आवेदक का हक, हिस्सा 1/6 कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है तथा कृषि भूमियॉ ख.नं. 708 ता 712, 715 ता 717, 746, 747 ता 750 कुल किता 13 कुल रकबा 8.3900 है0 वाके ग्राम डांसरोली पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी/आवेदक का हक, हिस्सा 1/12 कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है। कृषि भूमियॉ ख.नं. 714 रकबा 0.0500 है0 कुल किता एक कुल रकबा 0.0500 है0 वाके ग्राम डांसरोली पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी/आवेदक का हक, हिस्सा 1/12 कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है। प्रार्थी/आवेदक का सही व वास्तविक नाम लच्छाराम पुत्र भूराराम जाति कुमावत निवासी डांसरोली है तथा यही प्रार्थी का नाम उसके परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, पैन कार्ड, बैंक के रिकार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजात में दर्ज है तथा हाल ही मे दिनांक 16.12.2019 को स्थानीय ग्राम पंचायत डांसरोली द्वारा इस सम्बन्ध में एक प्रमाण–पत्र भी जारी हुआ है जिसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रार्थी को लिछमण उर्फ लच्छाराम पुत्र भूराराम जाति कुमावत निवासी डांसरोली के नाम से

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

जाना पहचाना व पुकारा जाता है। उक्त भूमियों में प्रार्थी/आवेदक का नाम गलत एवं सहवन से लिछमणराम पुत्र भूरा जाति कुम्हार (प्रजापति), आवेदन की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूयिमों में आवेदक का नाम लिछमणराम पुत्र भूरा जाति जाट निवासी अमानीपुरा एवं आवेदन की मद संख्या तीन की कृषि भूमि में आवेदक का नाम लिछमणराम पुत्र भूरा जाति कुम्हार (प्रजापति) गलत है जबकि प्रार्थी/आवेदक का वास्तविक नाम लच्छाराम पुत्र भूराराम जाति कुमावत निवासी डांसरोली है। इस प्रकार उपरोक्त मद संख्या 1 ता 3 की कृषि भूमियों में प्रार्थी/आवेदक के नाम का दुरूस्त करके उसके स्थान पर सही रूप से संधोधित करते हुए "लच्छाराम पुत्र भूराराम जाति कुमावत निवासी डांसरोली" दर्ज किया जाना अति आवश्यक है एवं इसी हेतु आवेदक को यह आवेदन रिकार्ड संशोधन का पेश किया जाना लाजमी हुआ है। प्रार्थी/आवेदक कई बार–बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियो से निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न प्रार्थना–पत्र है एवं मुताबिक अन्य रिकार्ड प्रार्थी/आवेदक के नाम को दुरूस्त कर सही रूप से दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वाद कारण अरसा करीब 8–10 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा आवेदक का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि विवादित कृषि आराजियात में प्रार्थी/आवेदक का नाम को दुरूस्त कर सही व वास्तविक रूप से समस्त राजस्व रिकार्ड में "लच्छाराम पुत्र भूराराम जाति कुमावत निवासी डांसरोली" संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2 आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। आवेदन पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावजेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया है कि लिछमण पुत्र भूरा व लच्छाराम पुत्र भूरा एक ही व्यक्ति के नाम होने के कारण प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम डांसरोली पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 696, 699, 700, 701, 702, 704, 705, 707, 718, 719, 720, 721, 723 कुल किता 14 कुल रकबा 11.0400 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 708 ता**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

712, 715 ता 717, 746, 747 ता 750 कुल किता 13 कुल रकबा 8.3900 हैक्टर में प्रार्थी का नाम लिछमण पुत्र भूरा के स्थान पर लच्छाराम पुत्र भूरा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner